न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2/2015

आरसीएमएस नं. 2015/00030

1. औमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री लिखमाराम जाति सुथार निवासी डुंगराना तहसील भादरा
2. मनोहरी पुत्री मोमनराम पत्नी महावीर जाति सुथार निवासी डुंगराना तहसील भादरा हाल निवासी विजयनगर गली नं. 1 मकान नं. 695 तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
3. सन्तोष पुत्री मोमनराम पत्नी बुधराम जाति सुथार निवासी डुगराना तहसील भादरा हाल पुरानी आबादी ताराचन्द वाटिका के पास श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलांट

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र मोमनराम जाति सुथार निवासी डुंगराना तहसील भादरा।
2. उप पंजीयक महोदय भादरा तहसील भादरा।

—— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरुद्ध निर्णय दिनांक 11.12.2014
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा
अनवान औमप्रकाश आदि बनाम धर्मपाल आदि
प्र0 सं0 20/2014

श्री मदन मोहन जोशी, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हवा सिंह पूनिया अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
श्री राजेश कौशिक राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2

निर्णय दिनांक 20.X.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में प्रश्नगत भूमि को संयुक्त खाता की भूमि होने उसमें अपना हक हिस्सा होने का कथन करते हुए गांव डूंगराना के खाता संख्या 98/98 के खसरा नं. 341/2 की 4.097 हैक्टर बारानी और खसरा नं. 336 की 12.786 है0 बारानी कुल 16.883 है0 बारानी भूमि में गैरसायल नं. 1 धर्मपाल अपवना 198–3/4 हिस्सा कृषि भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये रहन बैय व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नहीं करने व सायलान के हिस्सा की भूमि पर स्वयं या अपने आदमियों

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

द्वारा मदाखलत बेजा नहीं करें आदि का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थना–पत्र खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वारा पूर्व में भी भूमि का 40 हिस्सा का बेचान दावा के प्रतिवादी सं0 17 व 18 को कर दिया गया था जिससे साबित है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 भूमि को बैय करने पर उतारू है तथा कानूनन किसी भी काश्तकार को विशेष हिस्सा को बैय करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट को रिकार्डेड खातेदार होना मानकर उसे विशेष किस्म की भूमि बैय करने की स्वतंत्रता दी है जो विधि विरूद्ध है किसी भी काश्तकार को संयुक्त खाता में अच्छी में से अच्छी व मन्दी में से मन्दीं भूमि बैय करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायलाय ने दावा में अन्य प्रतिवादीगण को प्रार्थना–पत्र में पक्षकार नहीं बनाना निर्णय का आधार माना है जो कतई गैर कानूनी व मनमाना है क्यों कि अन्य सह खातेदार एवं सह काश्तकार भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं कर रहे थे इसलिए उन्हें धारा 212 आरटीएक्ट में पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं था। इसलिए केवल रेस्पो0 सं0 1 को ही पक्षकार बनाया गया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने दावा की मद सं0 3 मं दर्ज शेष अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण जो उक्त भूमि के ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार हैं को प्रार्थना–पत्र धारा 212 में पक्षकार नहीं बनाया है। रेस्पोडेण्ट धर्मपाल अभिलिखित खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रिकार्ड में उसका नाम दर्ज हिस्सा को हर प्रकार से उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए केवल मात्र अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रश्नगत भूमि गांव डुंगराना की जामबंदी सम्वत 2067 से 70 के खाता संख्या 98/98 के खसरा नं. 341/2 की 4.097 हैक्टर बारानी और खसरा नं. 366 की 12.786 है0 बारानी कुल 16.883 हैक्टर बारानी भूमि में प्रतिवादी औमप्रकाश और दावा की प्रतिवादिया संख्या 2 ता 5 के नाम ब.हि.ब., सायल सं0 2 और सायला सं0 3 प्रत्येक का 238–3/4 हिस्सा और गैरसायल वं0 1 धर्मपाल का 198–3/4 हिस्सा, दावा के प्रतिवादी सं0 6 गोपालराम का 16 हिस्सा प्रतिवादी सं0 7 ता 10 का 164 ब.हि.ब., दावा प्रतिवादी सं0 11 का 100 हिस्सा, दावा के प्रतिवादी सं0 12 ता 16 का 100 हिस्सा ब0हि0ब0, दावा के प्रतिवादी सं0 17–18 का 40 हिस्सा भूमि में गैर सायल सं0 1 अपना 198–3/4 हिस्सा कृषि भूमि को रहन बैय मुन्तकिल नहीं करने हेतु पाबंद करवाना चाहता है। अपीलाट ने दावा की मद सं0 3 में दर्ज शेष अप्रार्थीगण/ पतिवादीगण जो उक्त भूमि के सह खातेदार काश्तकार है को प्रार्थना–पत्र धारा 212 आरटीएक्ट में पक्षकार नही बनाया है। रेस्पोडेण्ट एक अभिलिखत खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हिस्से को हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। इसलए केवल मात्र अकेले

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रेस्पो0 सं0 1 के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.12.2014 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.X.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

20/X/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़